INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

Rs. 20000

03CC 307410

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रू0 13,34,000/-
मालियत मूल्य : रू0 10,08,000/-
स्टाम्प शुल्क : रू0 1,35,400/-
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख शाहबदीन, गंगाप्रसाद, भोलानाथ, सरजूप्रसाद, जगदीश प्रसाद, रमेश व राजमोहन पुत्रगण पूरनवासी निवासीगण नया पुरवा मजरा निजामपुर, मखिनपुरी, लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेतागण कहा गया है.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

लखनऊ
(प्रथम)

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 200000 RUPEES

0300 397411

एवं राम आसरे पुत्र राम विलास कोरी निवासी ग्राम मिर्जापुर गिलौलिया, पोस्ट–नौगांव, जिला–फतेहपुर जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा 286, 287 रकबा [illegible] हेक्टेयर स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना –बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

भारत INDIA

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

0300 807472

-3-

पंचवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 226 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित

भारतीय गैर न्यायिक

दो हजार रुपये

RUPEES

2000

Rs. 2000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 2000

03CC 303413

भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या रहनबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा

बीस हजार रुपये

RUPEES

२००००

Rs.20000Rs. INDIA NON JUDICIAL Rs.20000Rs.

U3CC 387414

इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू० 13,54,000/- (तेरह लाख चौवन हजार रूपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहीं स्वीकार

RUPEES

20000

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

03CC 307415

करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को

10000 रु. भारत INDIA Rs 10000

INDIA NON JUDICIAL

0544 685382

अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

121334

- ३ -

सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावें तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उक्त

१०० रु. Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

स्थित में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण

100 Rs

१०० रु.

Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

न्यायालय संग्रहक के वास्ते

म. सो. क्ष./कोषाधिकारी

LKO TRY

भुगतान व वहन करेगें, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर घुसनज, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्कल रेट रू0 11,00,000/ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.857 हेक्टेयर की मालियत 9,42,700/– होती है.

२०० रु. | Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

उपरोक्त भूमि पर दो नलकूप हैं जिनकी कीमत रु0 60,000/- होती है इसलिए भूमि की कुल मालियत 10,02,700/-होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 1,35,400/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई

१००रु Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व धनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

भूमि खसरा 239, 287 रकबा 0.857 हेक्टेअर स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना –बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

<u>*खसरा नं0 239 रकबा 0.368 हेक्टेअर*</u>

पूरब	: खसरा संख्या–240
पश्चिम	: खसरा संख्या–236
उत्तर	: खसरा संख्या–237
दक्षिण	: खसरा संख्या–241

<u>*खसरा नं0 287 रकबा 0.489 हेक्टेअर*</u>

पूरब	: खसरा संख्या– ग्राम सीमा निजामपुर
पश्चिम	: खसरा संख्या–288
उत्तर	: खसरा संख्या–289
दक्षिण	: खसरा संख्या–288

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

रू0 13,54,000/– (तेरह लाख चौवन हजार रुपया) द्वारा चेक संख्या– 096872, 096873, 096874, 096875, 096876, 096877, 096878, दिनांकित 19.10.2004 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ, विक्रेता को क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ
दिनांक: 19.10.2004
गवाह

1.

विक्रेतागण

2.

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

मसविदाकर्ता

(वेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट

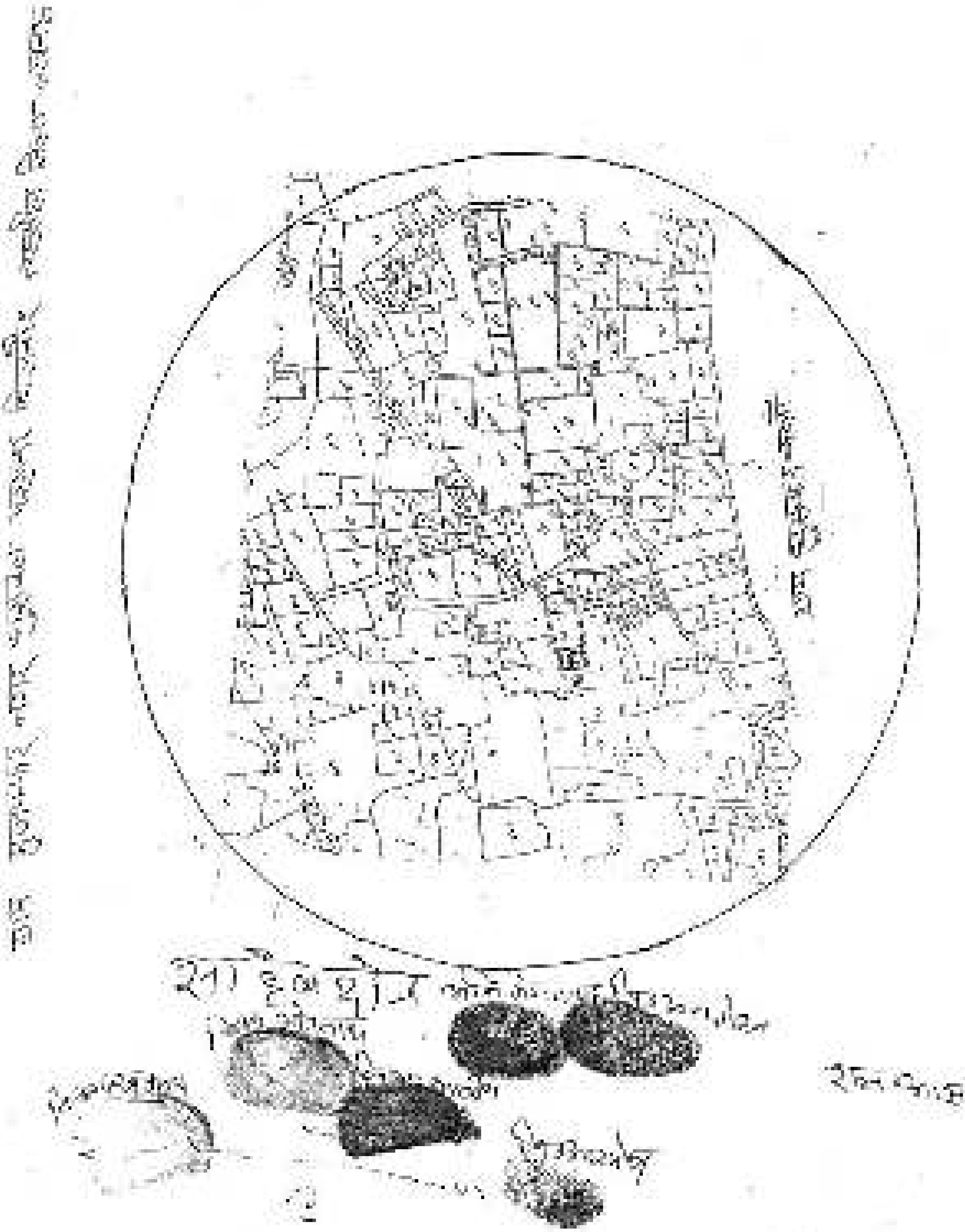

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

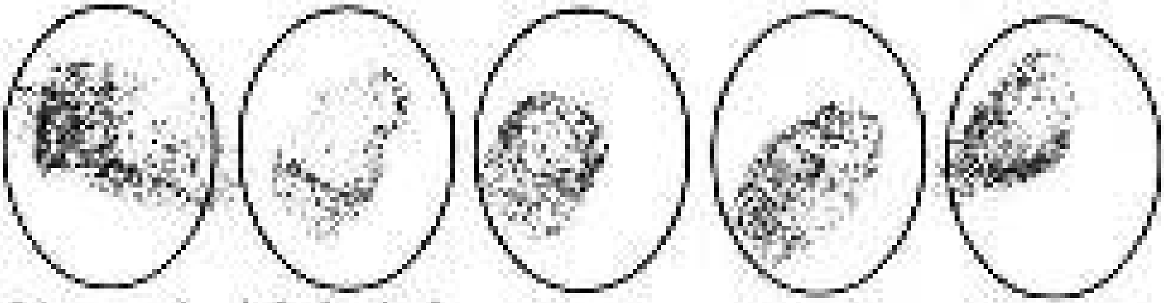

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

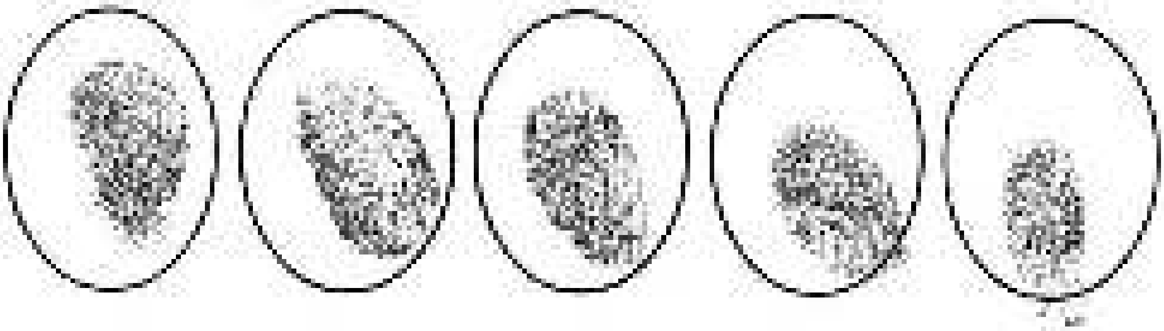

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

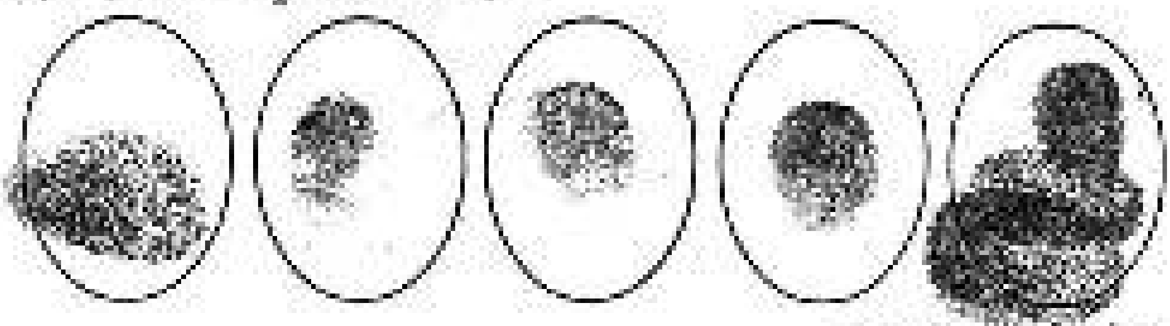

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

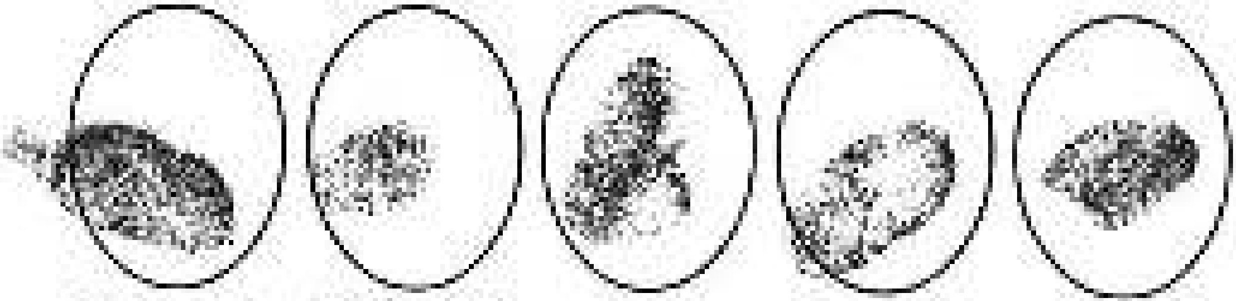

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

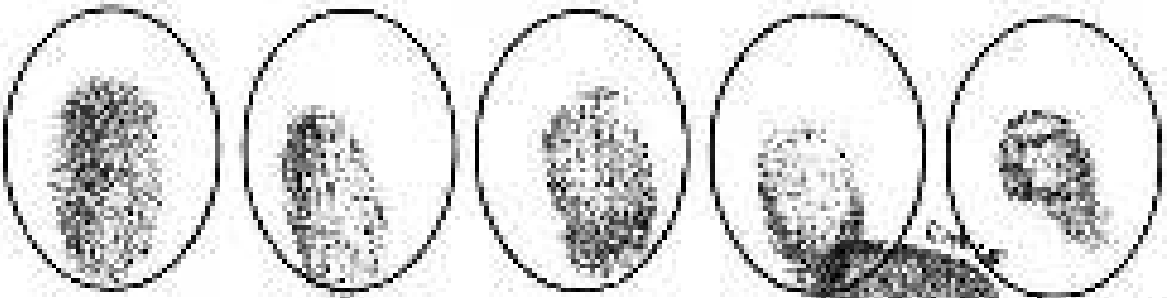

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

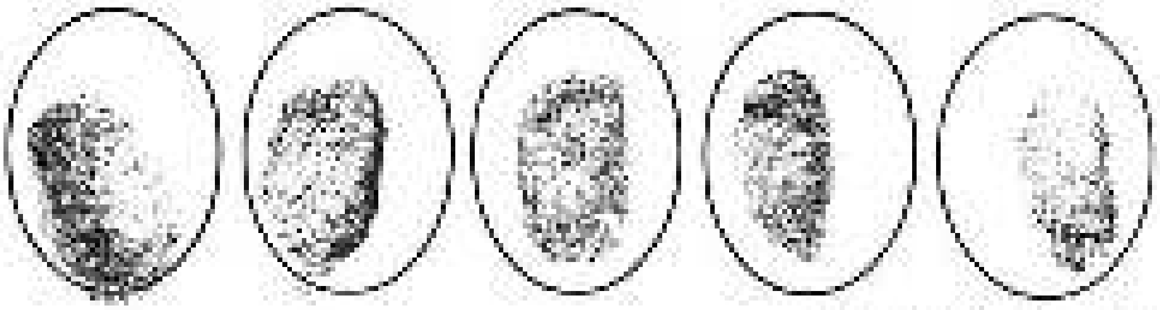

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

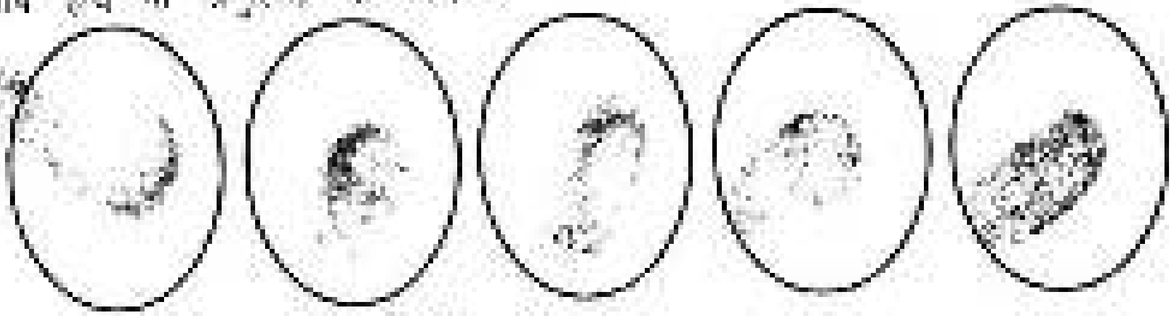

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

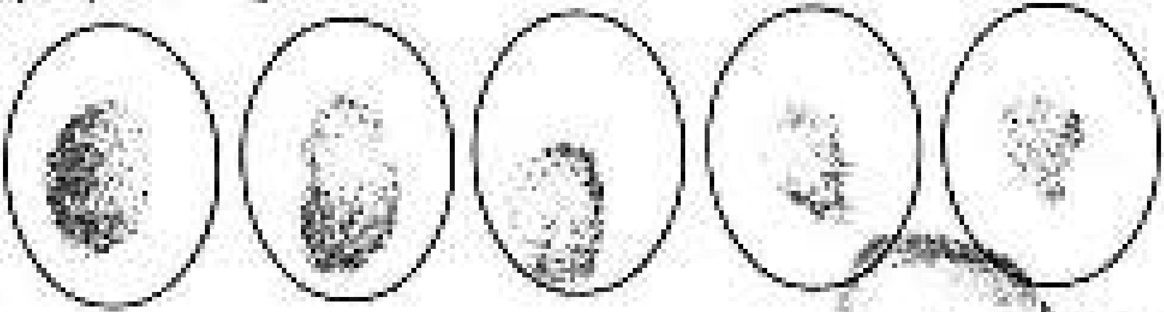

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

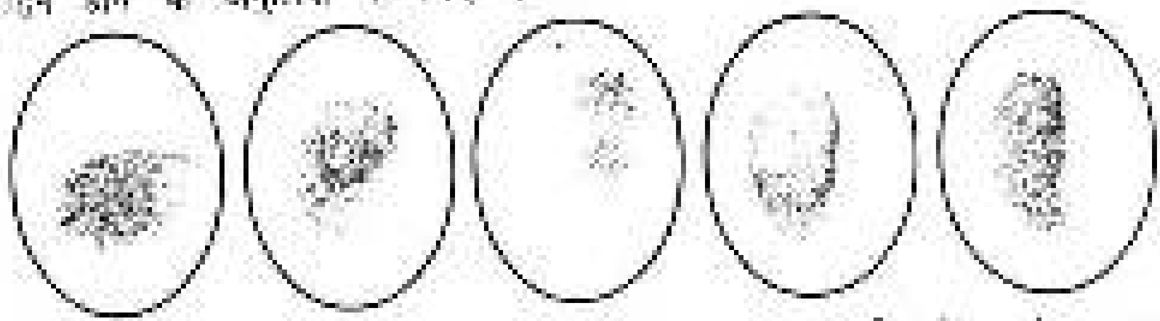

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए. के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

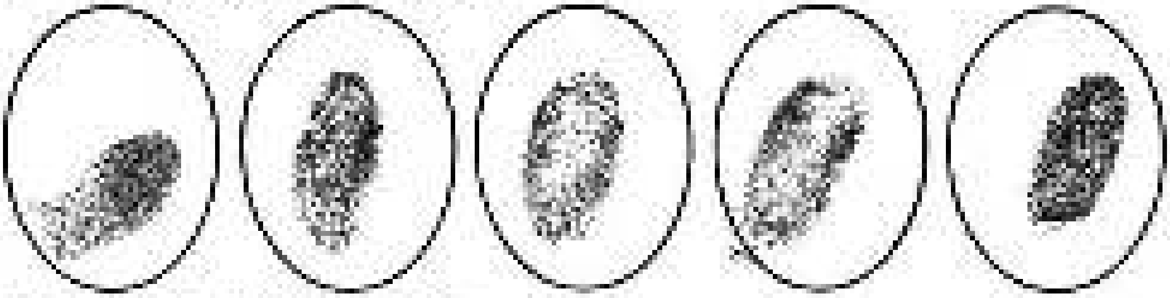

दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

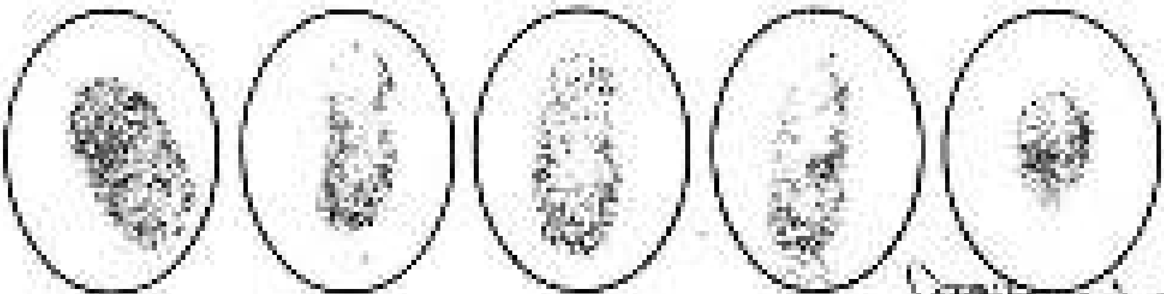

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

ग्रहणकर्ता/क्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

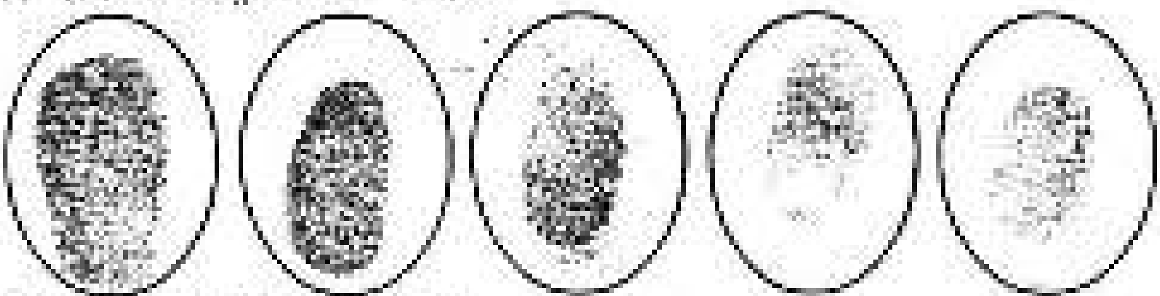

दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

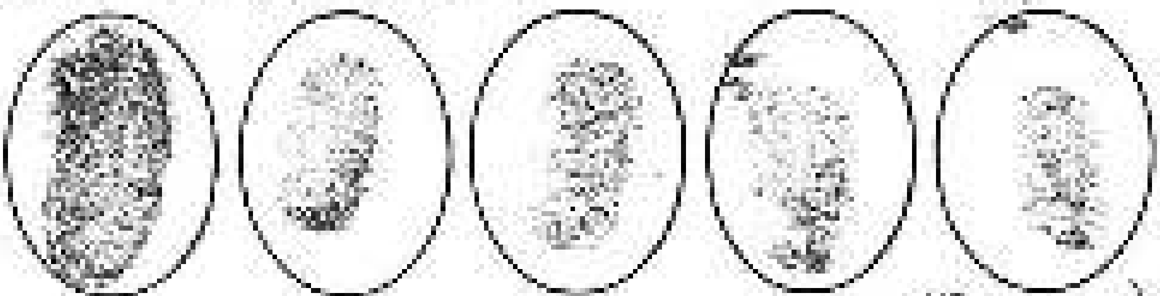

क्रेता/ग्रहणकर्ता के हस्ताक्षर

[illegible]

कार्यालय उप निबन्धक (प्रथम) * लखनऊ *